

D-65

जप्ती पत्रकEOW अ. ७/15
दिनांक व समय जप्ती

जप्ती स्थान

किसके द्वारा पेश करने पर

उपस्थित नॉन के अधिकारी का नाम -

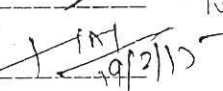
जप्तकर्ता अधिकारी

जप्ती साक्षी

- 19.02.2015 के 14.00 बजे
- एस.डब्ल्यू.सी. कैम्पस लिंगियाडीह बिलासपुर का गोदाम क्रमांक-11, गतौरी बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ0ग0।
- श्री एस.के. राघव पिता श्री देवी सिंह राजपूत उम्र 48 वर्ष, शाखा प्रबंधक एस.डब्ल्यू.सी. कैम्पस लिंगियाडीह, बिलासपुर (छ.ग.)
- श्री बी.एल. दुबे पिता श्री गंगा प्रसाद दुबे उम्र 60 वर्ष, वरिष्ठ सहायक नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
- निरीक्षक अजितेश सिंह एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
- (1) श्री विनय कुमार दीक्षित पिता स्व. श्री ठाकुर प्रसाद दीक्षित उम्र 58 वर्ष, प्रबंधक क्वालिटी कन्ट्रोल एफ.सी.आई. बिलासपुर (छ.ग.)
(2) श्री इस्तियाक अहमद पिता श्री मुस्ताक अहमद उम्र 28 वर्ष, तकनीकी सहायक क्वालिटी कन्ट्रोल बिलासपुर (छ.ग.)

विवरण

आज दिनांक 19.02.2015 को उक्त समय पर एस.डब्ल्यू.सी. कैम्पस लिंगियाडीह बिलासपुर के गोदाम क्रमांक-11, गतौरी में नॉन द्वारा संग्रहित अमृत नमक के पैकेट जो कि गोदाम के स्टोक नंबर -A1 में रखे हुए हैं में से चारो कोनो से एक-एक अमृत नमक के पैकेट का सेम्पल निकाला गया। जिसमें छत्तीसगढ़ अमृत नमक पैकिंग माह 1/2015 बैच नंबर 01, नेट वेट 1 कि.ग्रा. लिखा हुआ है। उक्त निकाले गये सेम्पल पैकटों में से दो-दो पैकेट को कपड़े के दो अलग-अलग थैलों में डालकर साक्षियों के एवं स्वयं के हस्ताक्षर वाली पर्ची को थैले में डालकर उक्त साक्षियों के समक्ष उक्त दोनों थैलो को शाखा प्रभारी श्री एस. के. राघव के द्वारा पेश किये जाने पर जप्त कर सीलबंद किया गया।

हस्ताक्षर साक्षी  2/2/15
(1) _____ जिसके द्वारा पेश किया गया नॉन के अधिकारी का जप्तकर्ता
(2)  19/2/15

सत्यापन प्रति
(ए.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू.सी.
बिलासपुर (छ.ग.)